सं. 12015/4/2013 आईएसएस (भाग)

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(आईएसएस प्रभाग)

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली 110001, दिनांक: 22.10.2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस)-स्थानांतरण को अपनी लागत पर अथवा लोक हित में मानने के बारे में दिशा-निर्देश ।

1. यह आवश्यकता महसूस की गई है कि स्थानांतरण को अपनी लागत पर अथवा लोकहित में मानने के बारे में तथ्यगत दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाएं । सक्षम प्राधिकारी ने स्थानांतरण को अपनी लागत पर अथवा लोक हित में मानने के बारे में निम्नलिखित दिशा- निर्देशों को अनुमोदित किया है:

(i) **यदि किसी अनिच्छुक अधिकारी को दिल्ली से बाहर पदस्थापित किया जा रहा है, तो इसे लोकहित में स्थानांतरण माना जाए ।**

(ii) **बच्चों की शिक्षा, अपने, पति/पत्नी अथवा परिवार के सदस्य (सदस्यों) के इलाज की समस्याओं, पति/पत्नी की तैनाती, आदि जैसे आधार पर किसी भी स्थान (दिल्ली सहित) पर स्थानांतरण के अनुरोध को अपनी लागत पर स्थानांतरण माना जाए ।**

(iii) **वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) और इससे ऊपर के मामले में तैनाती के दो वर्ष और एसएजी से नीचे के मामले में तीन वर्ष पूरे होने से पहले अन्य स्थानों से दिल्ली में स्थानांतरण के अनुरोध को अपनी लागत पर स्थानांतरण माना जाए । (एसएजी और इससे ऊपर के ग्रेड में अधिकारियों की सेवा के सीमित वर्ष ही शेष रह जाते हैं, इसलिये, इनके वास्ते दो वर्ष की अवधि प्रस्तावित की जा रही है) ।**

(iv) **उपरोक्त पैरा (iii) में जैसा कि प्रस्तावित है, दो/तीन वर्ष की अवधि के बाद (तीन वर्ष के बराबर या उससे अधिक) दिल्ली में स्थानांतरण के अनुरोध को लोकहित में स्थानांतरण माना जाए ।**

---2---

2. ये दिशा-निर्देश 1.1.2013 के बाद किये गये स्थानांतरणों पर लागू होंगे । केवल प्राप्त प्रतिवेदनों पर ही विचार किया जाएगा (अन्य मामलों पर स्वतः पुनर्विचार नहीं किया जाएगा) । 01..01.2013 के पहले किये गये स्थानांतरणों पर पुनर्विचार नहीं होगा ।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनांक 15.2.2005 के का.ज्ञा. सं. 11025/2/2003 आईएसएस के द्वारा जारी भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) संवर्ग नियोजन, तैनाती और प्रबंधन नीति पर अलग से पुनर्विचार किया जाएगा ।

4. उन सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, जहां आईएसएस के अधिकारी/पद तैनात/अवस्थित हैं, से अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी संबंधितों को अवगत कराया जाए ।

जे.एस.गुप्ता

(जे.एस. गुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार

सभी सहभागी मंत्रालय/विभाग/संगठन

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
2. सचिव (सां. और कार्य. कार्या.) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
3. अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव
4. महा निदेशक (एनएसएसओ) के प्रधान निजी सचिव
5. सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. में सभी अपर महानिदेशक
6. संगणक केंद्र को इस अनुरोध के साथ कि इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें
7. प्रशासन-I, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय, नई दिल्ली